

-:: प्रेस विज्ञापित ::-


नोडल संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंगेली (छ.ग.) के अंतर्गत मुंगेली जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों/विषयों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों (कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी/संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद) के विरुद्ध प्रशिक्षण सत्र 2022-23 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिए आवेदन दिनांक -10/10/2022 समय-शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली में जमा किये जा सकते हैं। पदों की जानकारी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं एवं निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं :-

1. **रिक्त पदों की जानकारी (कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी/संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद) :-**

क्र.	जिला नोडल संस्था का नाम	संस्था का नाम	व्यवसाय/विषय	रिक्त पद	रिमांक
1	2	3	3	4	5
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पथरिया	फीटर	01	
		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लोरमी	विद्युतकार	01	
		कुल		02	

2. **शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-**

स. क्र.	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं
1	विद्युतकार	<ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/एआईसीटीई अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/ पात्रोपाधि उत्तीर्ण। अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से(ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण।
2	फिटर	<ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/एआईसीटीई अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ प्रोडक्शन एवं मेनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पात्रोपाधि उत्तीर्ण। अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से(ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण।



टीप:- इंजीनियरिंग शाखाओं की समतुल्यता/समकक्षता का निर्धारण प्रचलित विभागीय भर्ती नियम " छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण(अराजपत्रित)तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 15 मई 2019 के अनुसार किया जावेगा।

1. (अ) चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें :-


1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तियों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
2. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री) के प्राप्तियों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा। सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तियों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
3. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
4. मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्थाप्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
5. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेंगी।
6. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषयों के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषयों पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
8. पृथक-पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषयों के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
9. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा रु.125/- (रुपये एक सौ पच्चीस) मात्र की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है प्रति माह अधिकतम रु.13,000/- (रुपये तेरह हजार) रुपये मानदेय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
10. आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
11. पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या बढ़ोत्तरी अथवा समाप्त की जा सकेगी। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय के लिये तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल प्राचार्य निर्णय ले सकेंगे। यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो अन्य जिलों की प्रतीक्षा से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
12. व्यवसाय- स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) में प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता वाले अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम के अनुसार चयन की कार्यवाही की जावेगी।



13. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह निर्धारित की गयी अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक -01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जायेगा।

(ब) चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदन दिनांक.10/10/2022.समय-शाम 5:00 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली (BONG) पिन कोड 495334 में जमा किये जा सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किये जायेंगे। लिफाफे के उपर आवेदित संस्था एवं व्यवसाय का नाम का उल्लेख करना आवश्यक है।
2. आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
3. स्वयं का फोटोग्राफ एवं वांछित प्रमाण पत्रों जैसे दसवीं की अंकसूची अथवा पुराना ग्यारहवीं की अंकसूची, व्यवसाय स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) के लिए 12वीं की अंकसूची (पुराना ग्यारहवीं उत्तीर्ण होने की दशा में ग्यारहवीं एवं स्नातक की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची), तकनीकी योग्यता, ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. की अंकसूची, हल्के मोटर यान (LMV) का वैध स्थायी लाईसेंस (व्यवसाय-मैकेनिक मोटर व्हीकल/मैकेनिक डीजल/मैकेनिक ट्रैक्टर/ड्रायवर-कम-मैकेनिक के लिए) निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, की स्व-सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र को सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
4. आवेदन केवल प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली पोस्ट देवरी जिला मुंगेली पिन कोड 495334 को ही किया जाना है। अन्य संस्था में जमा किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
5. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदकों को सूचना नहीं दी जाएगी।
6. ऐसे आवेदन जिनमें स्वयं का फोटोग्राफ एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है की संलग्न छायाप्रतियां स्वप्रमाणित नहीं पाये जाने पर आवेदन को निरस्त /अमान्य किया जावेगा।
7. आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा।
8. यदि किसी आवेदक के विरुद्ध अपराधिक अथवा दण्डिक प्रकरण हो तो प्रकरण की पूर्ण जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। चयन होने के उपरांत उक्त जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशिक्षण कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
9. आवेदन पत्र पर एक से अधिक व्यवसाय/विषय अथवा एक से अधिक संस्था का नाम अंकित होने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।
10. जिस व्यवसाय हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं उस व्यवसाय में ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.उत्तीर्ण की अंकसूची संलग्न न होने पर चयन में प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।
11. जिस व्यवसाय हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं उस व्यवसाय में शिक्षता परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर मेरिट अंको की गणना आवेदकों की तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जावेगी।
12. ऐसे आवेदक जो केवल राज्य व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण है के आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।



13. व्यवसाय स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) में ऐसे आवेदक जो केवल माडर्न आफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा उत्तीर्ण है के आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा।
14. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आया पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा आवेदन पत्र में आवेदक अपना मॉबाइल नम्बर सही एवं स्पष्ट करें। दिए गए मॉबाइल नम्बर पर संपर्क ना हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
15. मेहमान प्रवक्ताओं की मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से 10 दिवस तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा उसके बाद 10 दिवस तक प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जाएगा तथा इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा।
16. चयनित होने के उपरान्त आवेदक को प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किये जाने पर नोटरीकृत शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


(स) चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें :-

1. तकनीकी व्यवसायों के लिए चयन की कार्यवाही क्रमशः निम्नानुसार की जावेगी-

(अ) प्रचलित सेवा शर्तों नियम में जिन पदों के लिए ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. आवश्यक है उन पदों के लिए एक वर्षीय ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/शिक्षुता परीक्षा/डिप्लोमा/डिग्री/पीजीडीसीए/ बीसीए/एमसीए) के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा।

(ब) ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।

- टीप:-
1. तकनीकी व्यवसायों के लिए आवेदकों की तकनीकी योग्यता के प्रमाण-पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट अंकों की गणना कर चयन की कार्यवाही की जावेगी। मेरिट अंकों की गणना में ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. के प्राप्तांकों को शामिल नहीं किया जावेगा।
 2. यदि आवेदक के पास किसी व्यवसाय/ विषय के पद के लिए एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि/इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि/पीजीडीसीए/ बीसीए/एमसीए आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र में सर्वाधिक प्रतिशत अंक होंगे उसी प्रमाण-पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
 3. तकनीकी व्यवसायों (स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट -हिन्दी/अंग्रेजी को छोड़कर) के लिए ऐसे आवेदक जो राज्य व्यवसायिक प्रमाण-पत्र परीक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हैं। उन आवेदकों के मेरिट की गणना उनके राज्य व्यवसायिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर नहीं बल्कि उनके राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर की जावेगी।
 4. व्यवसाय-मैकेनिक मोटर व्हीकल/मैकेनिक डीजल/मैकेनिक ट्रैक्टर/ड्रायवर-कम-मैकेनिक के लिए हल्के मोटर यान (LMV) का वैध स्थायी लाइसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न न किये जाने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।


 प्रमुख/सहायक अधिकारी
 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
 एस.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
 मंगली जिला-मंगली-१२

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

1. औपसंस्था का नाम
(जहाँ के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।)
2. व्यवसाय/ विषय का नाम

प्रति,

प्राचार्य (नोडल अधिकारी)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,
मुंगेली छ.ग.

स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित
पासपोर्ट साइज फोटो

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. माता का नाम :-
4. जन्मतिथि :-
- (शब्दों में)
5. अ) पत्राचार का पता :-

ब) दूरभाष/मोबाईल नम्बर :- 1. 2.


6. स्थायी पता:-

7. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता:-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/ विवि का नाम	व्यवसाय/विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1						
2						
3						
4						

- टीप :-
- 1 योग्यता से संबंधित सभी एवं अन्य प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर लगाये जावे।
 - 2 प्रत्येक व्यवसाय/विषय के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जावे।
 - 3 छत्तीसगढ़ का मूल निवास होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करें।
 - 4 यदि अभ्यर्थी का किसी भी अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता है तो उसकी जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में जानकारी आवेदन पत्र में नहीं दिये जाने पर एवं बाद में इसकी जानकारी प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।
 5. उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, एवं मैं सहमत हूँ कि-

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम



शपथ पत्र

1. मैं संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर द्वारा सुनिश्चित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित /लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त की गई जानकारी एवं सभी प्रस्तुत प्रमाण पत्र सही है। प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित करने पर मैं इस बात का नोटराइज्ड शपथ पत्र भी प्रस्तुत करूंगा कि यदि जानकारी या प्रस्तुत प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं तो मेरा चयन निरस्त किया जा सकेगा एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।
3. मेरे विरुद्ध किसी भी अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता की जानकारी बाद में प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा तथा यह चयन इस सत्र के लिए या आवश्यकता रहने तक या नियमित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगी। उसके लिए मैं सहमत हूँ।
5. मैं संस्था में प्राचार्य/ अधीक्षक या उनके अधिकृत कर्मचारी के अधिनस्थ के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी। कोई अनुशासनहीनता/गलती मेरे द्वारा की जाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित प्राचार्य/ अधीक्षक मुझे सुनवाई का मौका देते हुए यदि आवश्यक हुआ तो मुझे प्रशिक्षण कार्य से हटा सकेंगे।
6. मैं एक से अधिक संस्थाओं हेतु उक्त पद के लिये आवेदन करता/करती हूँ एवं चयन भी हो जाता है तो मैं एक ही व्यवसाय एवं संस्था में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊँगा दूसरे व्यवसाय अथवा संस्था के लिए चयन स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
7. मेहमान प्रवक्ताओं की मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित तिथि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम में प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जायेगा।
8. यदि किसी संस्था में पूर्व में संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता रह चुके हो तो उसका विवरण एवं छोड़ने संबंधी कारण तथा कार्य प्रणाली दर्शाने वाला प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो संलग्न करे।

संलग्नक :-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पता

मौ. नं.

